राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1162–एक/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–11–2012 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला रायसेन प्रकरण कमांक 26/निग./अ.कले./2010–11.

1– श्रीमती रेहाना लतीफ पत्नी मो. यासीन खां
निवासी सिकन्दरी स्टेशन, भोपाल
2– श्रीमती तलत परवीन पत्नी मो. एजाज खां
निवासी जिन्सी जहांगीराबाद, भोपाल
दोनों कृषक ग्राम दीवानगंज
तहसील व जिला रायसेन
3– श्रीमती मुबीना पत्नी रहमत अली
निवासी ग्राम दीवानगंज
तहसील व जिला रायसेन .....आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा अपर कलेक्टर, रायसेन .....अनावेदक

श्री रत्नेश शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::
(पारित दिनांक 30 मई, 2014)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–11–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुक्रम में नायब तहसीलदार, रायसेन द्वारा जांच उपरांत दिनांक 25–11–2010 को इस आशय का प्रतिवेदन अपर कलेक्टर, रायसेन के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि ग्राम दीवानगंज स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 66 रकबा 0.728 हेक्टेयर का पट्टा प्रकरण क्रमांक 1/अ–19/91–92 में पारित आदेश दिनांक 4–10–91 से आवेदिका क्रमांक 3 मुबीना पत्नी रहमत अली के प्रदत्त किया गया था । आवेदिका क्रमांक 3 द्वारा उक्त भूमि का विक्रय आवेदिका क्रमांक 1 एवं 2 को बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के किया गया है, और तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिक रूप से प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिका क्रमांक 1 एवं 2 का नामांतरण प्रविष्टि क्रमांक 12 पर दिनांक 25–5–2007 को किया गया है । अतः प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाये । अपर कलेक्टर द्वारा नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर उक्त प्रकरण को स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर दिनांक 21–11–2012 को आदेश पारित कर आवेदिका क्रमांक 3 द्वारा संहिता की धारा 165 (7 ख) के उल्लंघन में पट्टे की भूमि का विक्रय करने के कारण पट्टा निरस्त किया गया एवं संहिता की धारा 165 (7 ख) के उल्लंघन में किए गए अंतरण को भी शून्य घोषित किया गया । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को पट्टे पर दिया जाना मानते हुए आदेश पारित किया गया है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि आवेदिका क्रमांक 3 की निजी भूमि होकर अदला–बदली में प्राप्त हुई है परन्तु तत्समय अदला–बदली का प्रकरण अन्य प्रकरण क्रमांक 781/बी–121/90–91 में संलग्न हो जाने के कारण प्रश्नाधीन भूमि पट्टे की होना माना गया है । इस आधार पर कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदिका क्रमांक 3 की निजी स्वत्व की भूमि होने के कारण संहिता की धारा 165 (7 ख) लागू नहीं होती है । उनके द्वारा अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से सूचना उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 781/बी–121/90–91 के

अवलोकन से परिलक्षित होता है कि पूर्व में इस प्रकरण का कमांक 1/ए–19 (4)/Coll/91–92 था । इस प्रकरण में दिनांक 4–10–91 को प्रश्नाधीन भूमि के अदला–बदली का आदेश पारित किया जाना परिलक्षित होता है, अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 21–11–2012 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठाए गए इस आधार पर कि अपर कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पट्टे की होना मानकर आदेश पारित किया गया है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि आवेदिका कमांक 3 की निजी भूमि है, विचार किया जाकर विधि अनुसार आदेश पारित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–11–2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर